कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. इसरार पुत्र वारिस अली नि0 कहारनपुरवा पहाडापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–156/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पवन पुत्र सहदेव निवासी जैतपुर माझा थाना नबाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–140/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 21.05.2021

नाजायज चाकुओं के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अजय शर्मा व ऋषि कपूर सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01–01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अजय शर्मा पुत्र रमेशचन्द्र नि0 बभनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. ऋषिकपूर सिंह पुत्र मंगल सिंह नि0 मढ़हा नगरा बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–145/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–146/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 राजकुमार।
02. हे0का0 मुनीब यादव।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.05.2021

दहेज हत्या के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में को0 करनैलगंज पुलिस ने मु0अ0सं0–188/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों– 01. बिलास गोस्वामी, 02. परागदत्त गोस्वामी, 03. गीता गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 18.05.2021 को वादी गोविन्द पुत्र जवाहिरलाल नि0 नगवा कला थाना को0 करनैलगंज की पुत्री को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी पर लटका दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. बिलास गोस्वामी पुत्र परागदत्त गोस्वामी नि0 दत्तनगर पूरे डैनियागंज थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. परागदत्त गोस्वामी पुत्र ब्रह्मदीन नि0 दत्तनगर पूरे डैनियागंज थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. गीता पत्नी परागदत्त गोस्वामी नि0 दत्तनगर पूरे डैनियागंज थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–188/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

01. अपराध नि0 विनय कुमार यादव मय टीम।